न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 54/2024
अनवान : –

1. भागीरथ पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी चक 5 आरपीएम तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. समेस्ता पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी 2 आरपीएम तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी**

निर्णय दिनांकः 17/2/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 5 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 298/122 की कुल 1.1380 हैक्ट भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी स0 2 प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 5 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 298/122 की कुल 1.1380 हैक्ट भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी स0 2 प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 5 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 58/120 की कुल 2.6310 हैक्ट भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थी व अप्रार्थी स0 2 सगे भाई है तथा अप्रार्थी स0 1 ने अपने नाम दर्ज उक्त भूमि जरिये बैयनामा 10/11/2020 को खरीद की थी खरीद के समय सहमति से प0न0 305/394(63) के किला न0 1 व 2 में 2/1/2 बिस्वा रास्ता भूपेन्द्र सिंह पुत्र गुरभक्त सिह के लिए सहमति से छोड़ दिया दिया एवं भूपेन्द्र सिंह से प्रार्थी व अप्रार्थी स0 2 ने यह भूमि खरीद कर ली लेकिन राजस्व रिकार्ड में आदिंनाक तक यह रास्ता दर्ज नही हुआ है जो की सहमति से बिना प्रतिफल देकर तय किया गया था। यह सबसे नजदीक व सुविधाजनक रास्ता है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रोही मौजा चक 5 आरपीएम तहसील नोहर के प0न0 305/394(63) के किला न0 1 व 2 की उत्तरी पासा की पश्चिम से पूर्व की तरफ 2/1/2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कई दफा कहा कि मुताबिक राजीनामा/समझौता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते किंतु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता इकबाल प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया की प्रार्थना पत्र सही है अगर इस्तगासा स्वीकार किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के संबंध में नकल जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.25 19:06:55 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी व अप्रार्थी स0 2 सगे भाई है तथा अप्रार्थी स0 1 ने अपने नाम दर्ज उक्त भूमि जरिये बैयनामा 10/11/2020 को खरीद की थी खरीद के समय सहमति से प0न0 305/394(63) के किला न0 1 व 2 में 2/1/2 बिस्वा रास्ता भूपेन्द्र सिंह पुत्र गुरभक्त सिह के लिए सहमति से छोड़ दिया दिया एवं भूपेन्द्र सिंह से प्रार्थी व अप्रार्थी स0 2 ने यह भूमि खरीद कर ली लेकिन राजस्व रिकार्ड में आदिंनाक तक यह रास्ता दर्ज नही हुआ है जो की सहमति से बिना प्रतिफल देकर तय किया गया था। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 दर्ज किया जावे। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ईकबाल प्रार्थना पेश किया जा चुका है अर्थात प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 5 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 298/122 की कुल 1.1380 हैक्ट भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी स0 2 प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 5 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 298/122 की कुल 1.1380 हैक्ट भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी स0 2 प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 5 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 58/120 की कुल 2.6310 हैक्ट भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थीगण द्वारा इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं गैरसायलान की सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 5 आरपीएम तहसील नोहर के प0न0 305/394(63) के किला न0 1 व 2 की उत्तरी पासा की पश्चिम से पूर्व की तरफ 2/1/2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से आदेश जारी किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 17/2/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.25 19:06:55 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर